न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010037542026

Bail Application/1010/2026

Mohammad Shabir Vs. State of U.P.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1010/2025

1–मौ० साबिर पुत्र नूर मौहम्मद,

2–सानिफ पुत्र शफीक निवासीगण डाक बंगले के पीछे मौ० करीमपुरा हापुड़, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0 901/2022

अ0 धारा–286 आई०पी०सी०

व 5, 9वी विस्फोटक अधिनियम

थाना – हापुड़ नगर,जिला हापुड़ ।

01.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण 1–मौ० साबिर पुत्र नूर मौहम्मद, 2–सानिफ पुत्र शफीक की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में अर्न्तगत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उपरोक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने प्र०सू०रि० में वर्णित अपराध नहीं किया है। प्रार्थी /अभियुक्तगण न तो कोई विस्फोटक पदार्थ रखता है तथा ना ही पटाखे आदि बनाने का कार्य करता है तथा ना ही पटाखे विक्रय करता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। जो भी साक्षी दर्शित हैं पुलिस कर्मचारीगण है। प्रार्थी/अभियुक्तगण से दिखायी गयी बरामदगी झूठी व फर्जी है जो भी बरामदगी दर्शायी गयी है वह फर्जी एवं बनावटी है तथा पब्लिक का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। तथाकथित घटनास्थल आबादी से भरा हुआ क्षेत्र है वहां इस प्रकार की घटना का कारित किया जाना बिल्कुल भी सम्भव नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्तगण की मौके से गिरफ्तारी नहीं है बल्कि प्रार्थी / अभियुक्तगण को थाना हाजा की पुलिस ने घर से बुलाकर उक्त धारा–41ए द०प्र०सं० के तहत नोटिस/जमानत पर छोड़ा हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–286 आई०पी०सी० व 5, 9वी विस्फोटक अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत नहीं होता है।प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मान्य न्यायालय मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, हापुड़ के न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अभियुक्तगण को समन जारी किये हुए है। प्रार्थी / अभियुक्तगण को थाना हाजा की पुलिस गिरफ्तार करके यातनाएं देना चाहती है जिससे प्रार्थी / अभियुक्तगण के मान सम्मान की प्रतिष्ठा धूमिल होने

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.02 16:51:01 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

की सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय के द्वारा प्रदत्त अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। जब भी माननीय न्यायालय प्रार्थी / अभियुक्तगण को तलब करेगा प्रार्थी / अभियुक्तगण शीघ्र अति शीघ्र स्वयं को माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर करेगा। प्रार्थी / अभियुक्तगण के भारत छोड़कर भागने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्तगण एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रार्थी / अभियुक्तगण का भागने एवं गवाहान तोड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने उभय पक्ष के तर्को पर विचार किया तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अनुसार अग्रिम जमानत में न्यायालय निम्नलिखित बातें पर विचार करेगी–

(1) अभियेाग की प्रकृति और गम्भीरता

(2) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ।

है।

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता और

(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियेाग लगाया गया हो।

फर्द बरामदगी अवैध रूप से विक्रय हेतु भण्डारित किये गये करीब चार कुन्तल अवैध पटाचे व गिरफ्तारी 02 नफर अभियुक्त/प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' आज दिनांक 13–10–22 को धारा सिंह मय का0 1090 अमित कुमार व का0 308 मोनू ढाका के मय प्राइवेट वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 71 समय 18.36 बजे रवाना होकर वास्ते देख रेख शान्ति व्यवस्था व गस्त एव चैकिंग में तहसील चौपले पर मामूर थे इसी दौरान मुखबिर खास आया और सूचना दी कि बुलन्दशहर रोड पर डाक बंगले के पीछे एक मकान में कुछ लोगों ने बिना अनुमति व लाइसेन्स के अवैध रूप से पटाखे तैयार करके भण्डारित कर रखे है, उनके पास सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं है जिससे घनी आबादी क्षेत्र में कोई भी गम्भीर घटना घटित हो सकती है, इस समय वे लोग चोरी छिपे पटाखे विक्रय

कर रहे है, अगर जल्दी चलकर घेराबन्दी की जाये तो मौके पर ही पकड़े जा सकते है । उक्त सूचना पर विश्वास करके जनता के लोगो को सूचना से अवगत कराते हुये मकसद समझाकर गवाही हेतु साथ चलने को कहा तो कोई भी व्यक्ति भलाई–बुराई के कारण साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। तब मुझ निरीक्षक द्वारा पूर्व से क्षेत्र में गस्तरत का0 75 जगवीर सिह व का0 1032 लाखन सिंह को तलब कर मय मुखबिर के साथ लेकर उसके बताये अनुसार बुलन्दशहर रोड से डाक बंगले के पीछे मौहल्ला करीमपुरा में आये मुखबिर ने गली में अन्दर जाकर मोड से एक मकान की ओर इशारा करके बताया कि इसी मकान में अवैध पटाखे तैयार करके भण्डारित किए हुए है और इतना बताकर मुखबिर चला गया । जैसे ही हम लोग मकान के अन्दर पहुंचे तो उपर छत पर कुछ आहट हुई। तत्परता से जैसे ही हम लोग जीने से उपर छत पर पहुंचे तो हम पुलिस बालो को देखकर कमरे में मौजूद दो व्यक्ति भागने को हुए जिन्हें हम लोगों ने भागने का मौका दिये बिना मौके पर ही समय करीन 19.30 बजे पकड लिया। नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम मौ० साबिर पुत्र नूर मौहम्मद उम्र करीब 42 वर्ष नि० करीमपुरा डाक बंगले के पीछे मौ० करीमपुरा हापुड़, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ बताया तथा दूसरे ने अपना नाम सानिफ पुत्र शफीक निवासी उपरोक्त बताया । कमरे में मौके पर गत्ते के कार्टन में पटाखे भरे है जो प्लास्टिक के कट्टों में रखे हैं। कुल 22 कट्टो में पटाखे (कार्टन) भरे है जिन्हें खोलकर चैक किया तो डिब्बों व पटाखों पर PARTY POP SURPRISE ASHA ENTERPRISES INDIA लिखा है। पकडे गये व्यक्तियों के पास मौके पर कोई भी अग्निशामक उपकरण नहीं है तथा अग्निरोधक के रूप में कोई अन्य उपाय भी नहीं किया गया है। जबकि घनी आबादी का क्षेत्र है, इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों से जानकारी की गई तथा पटाखे बनाने व बेचने का लाईसेन्स तलब किया गया तो नहीं दिखा सके और माफी मांगने लगे तथा बताया कि साहब हम लोग पटाखे बनाकर बेचते है, जिससे गुजर बसर चल रहा है। डिब्बों को कट्टों में रखवाया गया तथा का० जगवीर से कांटा मगाकर बजन कराया गया तो प्रत्येक कट्टे का वजन करीब 18 कि0ग्राम है, कट्टों को मौके पर ही सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का यह कृत्य धारा 286 IPC व 5,9बी विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान आस–पडोस के काफी लोग मौके पर आ गये गये जिनसे गवाही हेतु कहा गया तो आपसी भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और अपनी मजबूरी बताकर इधर उधर हट बच गये । कार्यवाही की फर्द मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गई। गिरफ्तारी प्रपत्र बनाया गया इस दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकारी आयोग के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। फर्द का मजबून हमराहियान के गकर सुनाकर अलामात बनावाये जाते है। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को नियमानुसार अकब से दी जायेगी। फर्द की एक प्रति दोनों की सहमति से अभि० साबिर को देकर अलामात बनवाये जाते है। सम्पूर्ण कार्यवाही कृत्रिम प्रकाश में की गई। ''

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवेचना के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 901/2022,अ0 धारा–286 आई०पी०सी० व 5, 9वी विस्फोटक अधिनियम थाना हापुड़ नगर,जिला हापुड में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपित अपराध अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अभियोजन के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी0बी0आई0 में पारित दिशा निर्देशो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी /अभियुक्तगण 1–मौ० साबिर पुत्र नूर मौहम्मद, 2–सानिफ पुत्र शफीक का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तो पर स्वीकार किया जाता है–

<u>आदेश</u>

यदि प्रार्थी /अभियुक्तगण 1–मौ० साबिर पुत्र नूर मौहम्मद, 2–सानिफ पुत्र शफीक को मु0अ0सं0 901/2022,अ0 धारा–286 आई०पी०सी० व 5, 9वी विस्फोटक अधिनियम थाना हापुड़ नगर,जिला हापुड में गिरफतार किया जाता है तो प्रार्थी /अभियुक्त प्रत्येक द्वारा रूपये 50,000/– के निजी बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की संतुष्टि पर दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोडा जाये–

1. प्रार्थी /अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ हेतु स्वयं उपस्थित होगा।
2. प्रार्थी /अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी व वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
3. प्रार्थी /अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. प्रार्थी /अभियुक्त इस तरह का अपराध नहीं करेगा। इस तरह के अपराध में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।
5. प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने या डराने धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।
6. प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा विवेचना/विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

आदेश की प्रति सम्बन्धित थाना/न्यायालय को भेजी जाये।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।